न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या –123/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
गणपति पुत्री स्व. नैनूडा जाति हरीजन , उम्र 80 वर्ष, निवासी डांगावास, तहसील मेडता, जिला नागौर		1. छोटूराम पुत्र मोहन, जाति हरीजन 2. सेनाराम पुत्र मोहन, जाति हरीजन 3. केसाराम पुत्र मोहन, जाति हरीजन 4. संतोकराम पुत्र मोहन, जाति हरीजन 5. माधवराम पुत्र मोहन, जाति हरीजन 6. किलाराम पुत्र मोहन, जाति हरीजन 7. सीता पुत्री मोहन,पत्नि नरसिंह, जाति हरीजन 8. तारावंद पुत्र नरसिंह, जाति हरीजन 9. महेन्द्र पुत्र नरसिंह पुत्र मोहन जाति हरीजन , निवासीगण डांगावास, तहसील मेडता जिला नागौर 10. कालू पुत्र दुर्गा, जाति हरीजन 11. दासू पुत्र दुर्गा, जाति हरीजन 12. गिरधारी पुत्र सायर पुत्र दुर्गा, जाति हरीजन , निवासीगण डांगावास 13. रामचन्द्र पुत्र बालू, जाति हरीजन 14. मुकनाराम पुत्र बालू, जाति हरीजन 15. पुखराज पुत्र बालू, जाति हरीजन 16. जयराम पुत्र बालू, जाति हरीजन 17. पप्पूराम पुत्र घेवर पुत्र बालू, जाति हरीजन 18. मनोज पुत्र घेवर पुत्र बालू, जाति हरीजन 19. कमली बेवा पत्नि घेवर पुत्र बालू, जाति हरीजन 20. श्यामादेवी बेवा गबरुराम पुत्र बालू, जाति हरीजन 21. गोविन्द पुत्र गबरुराम पुत्र बालू, जाति हरीजन , निवासीगण डांगावास, तहसील मेडता जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री श्यामकुमार व्यास।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या–1 से 11 की ओर से वकील श्री प्रेमराज गेहलोत एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–13, 15, 17 से 21 की ओर से वकील श्री भंवरलाल चौधरी।

दिनांक : 10.09.2018

निर्णय

अपीलांट ने यह अपील 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा ग्राम मेडता तहसील मेडता का म्यूटेशन संख्या 541/201 दिनांक 29.01.1970 द्वारा नायब तहसीलदार मेडता के आदेश के विरुद्ध यह अपील दिनांक 23.10.2017 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया। वकील अपीलान्ट ने मियाद

कलक्टर, नागौर

प्रार्थना–पत्र के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 12, 14 व 16 ने सम्मन तामिल के बावजूद भी हस्तगत प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

वकील अपीलान्टस् ने मियाद प्रार्थना पत्र के संबंध में अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने नामान्तकरण संख्या 541/201 मेड़ता के बाबत पूराने खेत खसरा नं. 1769 रकबा 37 बीघा 1 बीस्वा के संबंध में अपील पेश की है। अपीलांट अनपढ़ गवार बूढ़ी औरत है और गांव में रहने वाली औरत है और अपीलांट को कानून का ज्ञान नहीं हाने की वजह से अपीलांट समय पर अपील पेश नही कर सकी अपीलांट खातेदार नैनूडा पुत्र जोरा जाति हरीजन निवासी डांगावास की जाइंदा पुत्री है और अपीलांट के इस खेत में उनके भाईयो के साथ शामलाती 1/5 हिस्सा है मगर अपीलांट के भाई मोहन दुर्गा बालू शंकर ने गैरकानूनी नाजायज अवैध नामान्तकरण अपने अकेले के नाम का भरवा लिया जिसका ज्ञान अपीलांट को नहीं हो सका। अपीलांट ने नामान्तकरण की नकल दिनांक 25.09.2017 को ली है। यह नामान्तकरण अवैध है नाजायज है गैरकानूनी है और इस अवैध नामान्तकरण से अपीलांट के कानूनी अधिकार समाप्त हो रहे है। इसलिए अपीलांट की अपील को अंदर मयाद फरमाई जाने का निवेदन किया है। वकील अपीलान्ट/प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.डी. 1992 पेज–17, आर.आर.डी. 1994 पेज 604, आर.आर.डी. 1995 पेज 576 एवं सिविल कोर्ट केसेज 2012(2)(एस.सी.) पेज–747 पेश किये।

वकील रेस्पोडेन्ट श्री प्रेगराज गेहलोत ने अपीलान्ट की बहस का समर्थन करते हुऐ अपीलांट का मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट की अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुऐ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से खारिज करने का निवेदन किया।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर सहानूभूतिपूर्वक विचार करते हुए न्यायहित में इस अपील का गुणावगुण के आधार पर सुनवाई कर निर्णय पारित किया जाना उचित है। अपीलान्ट की अपील पर मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकुलाय बहस सुनी गई। अपीलांट गणपति खातेदार नैनूडा पुत्र जोरा, जाति हरीजन निवासी डांगावास की पुत्री है। अपीलांट के पिता नैनूडा का स्वर्गवास दिसम्बर सन् 1969 में हुआ तब अपीलांट के पिता नैनूडा के पुत्र मोहन दुर्गा बालू शंकर जिंदा थे उन्होने अपने अकेले के नाम का नामान्तकरण इस खेत खसरा नं. 1769 रकबा 37 बीघा 1 बीस्वा का पटवारी मेडता से मिलकर और नायब तहसीलदार मेडता से मिलकर और आई.एल.आर मेडता से मिलकर गलत गैरकानूनी नाजायज भरवा लिया जबकि अपीलांट नैनूडा की पुत्री मौजूद है नामान्तकरण में अपीलांट का नाम भी दर्ज होना चाहिये था, मगर अपीलांट के भाई मोहन दुर्गा बालू शंकर ने अपीलांट को नहीं बताकर अपने अकेले के नाम का नामान्तकरण गलत व गैरकानूनी व नाजायज भरवा लिया है।

अपीलांट गणपती नैनूडा पुत्र जोरा हरीजन निवासी डांगावास की जाइंदा पुत्री है और उसका इस खेत पूराने खसरा नं. 1769 रकबा 37 बीघा 1 बीस्वा में 1/5 हिस्सा है इसलिए अपीलांट के अधिकारो पर इस गैरकानूनी व नाजायज अवैध नामान्तकरण से अपीलांट के अधिकारो पर कूठाराघात हो रहा है और इस अवैध नामान्तकरण से अपीलांट के अधिकार समाप्त हो रहे है इसलिए अपीलांट ने यह अपील पेश की है। अपीलांट गणपती नैनूडा पुत्र जोरा की जाइंदा पुत्री है इसलिए उसके अधिकार किसी भी प्रकार से समाप्त नही किये जा सकते है, का कथन करते हुऐ वकील अपीलान्ट ने अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर, मेडता में स्थित पूराने खेत खसरा नं. 1769 रकबा 37 बीघा 1 बीस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 1769 मीन रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा, 1769 मीन रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा हो गये। इसके बाद नवीन सेटलमेन्ट में खसरा नम्बर 1769 मिन रकबा 13 बीघा

कलक्टर, नागौर

18 बिस्वा के नये खसरा नम्बर खसरा नं. 1291 रकबा 1.4500 हैक्टेयर, खसरा नं. 1294/5180 रकबा 0.8000 हैक्टेयर हो गये है तथा खसरा नम्बर 1769 मीन रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा के नये खसरा नम्बर खसरा नं. 1252 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नं. 1293 रकबा 1.4700 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1294 रकबा 0.6800 हैक्टयर हो गये तथा खसरा नं. 1769 मिन रकबा 13 बीघा 18 बीस्वा जिसमें घेवरराम पुत्र बालू की खातेदारी दर्ज है तथा खसरा नं. 1769 मिन रकबा 13 बीघा 18 बीस्वा में बालू पुत्र नैनाराम की खातेदारी दर्ज है इनमें रेस्पोडेन्टस के साथ अपीलांट का नाम नामान्तकरण में दर्ज किया जाकर खातेदारी में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे व नामान्तकरण संख्या 541/201 मेडता दिनांक 29.01.1970 को खारिज करने का वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.डी 1987 पेज 97 न्यायिक दृष्टांन्त पेश किया।

वकील रेस्पोडेन्ट श्री प्रेमराज गेहलोत ने अपीलान्ट की बहस का समर्थन करते हुऐ नामान्तरकरण संख्या 541/201 मेड़ता दिनांक 29.01.70 को खारिज करने का निवेदन किया।

वकील रेस्पोडेन्ट श्री भवरलाल चौधरी ने स्वंय की बहस में वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया कि अपीलान्ट के पिता स्व0 नेनूराम जाति हरिजन निवासी डांगावास तहसील मेड़ता का देहान्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व ही सन् 1953 में हो गया था, इसलिए नेनूराम के देहान्त के पश्चात उसके उत्तराधिकारी व वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्तकार उसके पुत्र मोहन, दुर्गाराम, रामूराम व शंकर के नाम नामान्तरकरण तत्कालीन तहसीलदार मेड़ता द्वारा सही स्वीकार किया है और उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट को शुरू से ही थी ।

अपीलान्ट व अन्यों ने सन 2012 में अदालत उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में वादग्रस्त भूमि के संबंध में घोषणा खातेदारी स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। उक्त वाद के साथ धारा 212 राज0 टि0 एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 411/12 पेश किया है। उक्त प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई दिनांक 11.04.2014 को खारिज करने का आदेश पारित किया जा चुका है तथा मूलवाद राजस्व न्यायालय में विचाराधीन है।

माननीय न्यायालय में विचाराधीन नामान्तरकरण की अपील व पूर्व में विचाराधीन वाद की विषयवस्तु व पक्षकारान एक ही है व उक्त वाद में ही अनवीक्षा के पश्चात यह निर्णय होगा की वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का हक हिस्सा है या नहीं ? तथा नामान्तरकरण जैर अपील वैध है अथवा नही ? मालिकाना हक, हिस्से के विवाद के बिन्दु का निस्तारण नामान्तरकरण जैसी संक्षिप्त कार्यवाही में नहीं हो सकता। इसलिए माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय अनुसार न्यायालय में राजस्व वाद विचाराधीन होने के दौरान नामान्तरकरण की अपील खारिज योग्य है।

करीब 50 वर्ष पश्चात नामान्तरकरण की अपील दर्ज करके सुनवाई किया जाना भी विधि सम्मत नहीं है। अपीलान्ट को नामान्तरकरण की जानकारी थी, तभी तो उसने सन् 2012 में राजस्व वाद पेश किया था। वर्तमान में इस भूमि के जो खातेदार है उनको भी अपील में पक्षकार नहीं बनाये जाने का कथन करते हुऐ वकील रेस्पोडेन्ट श्री भंवरलाल चौधरी ने अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया। वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में ए.आई.आर. 1999 राज. पेज 216, आर.बी.जे. (1) 1994 पेज 157, आर.आर.टी. 2002(1) पेज 77 न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली एवं वकील उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में खसरा नम्बर 1769 ग्राम मेड़ता तहसील मेड़ता के संबंध में नेनूड़ा का स्वर्गवास होने के कारण उसके पुत्रों मोहन, दुर्गा, बालू, शंकर के नाम नायब तहसीलदार मेड़ता नामान्तरकरण जैर अपील दिनांक 29.01.70 मंजूर किया गया है।

कलक्टर, नागौर

वकील अपीलान्ट का कथन की अपीलान्ट के पिता नैनूड़ा का स्वर्गवास सन् 1969 दिसम्बर में हुआ, परन्तु तब उक्त वाद ग्रस्त भूमि के संबंध में अपीलान्ट के पिता नैनूडा के पुत्र मोहन, दुर्गा, बालू, शंकर ने अपने अकेले के नाम भरवा लिया जबकी अपीलान्ट नैनूड़ा की पुत्री मौजूद है, उक्त नामान्तरकरण में अपीलान्ट का भी दर्ज होना चाहिए था।

हस्तगत प्रकरण के वकील रेस्पोडेन्ट श्री भंवरलाल चौधरी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार अपीलान्ट गणपति व अन्य द्वारा उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के न्यायालय में नामान्तरकरण जैर अपील में वर्णित खसरा नम्बर 1769 की भूमि के विवाद के संबंध में एक दावा मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र संख्या 411/2012 गणपतिदेवी वगैरह बनाम रामचन्द्र वगैरह को निर्णय दिनांक 11.04.2014 को उपखण्ड अधिकारी मेड़ता द्वारा प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना खारिज किया गया है।

वकील रेस्पोडेन्ट श्री भंवरलाल चौधरी द्वारा उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित वाद राजस्व न्यायालय में विचाराधीन होना तथा उक्त वाद के निर्णय से ही वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का हक व हिस्सा है या नहीं ? मालिकाना हक, हिस्से के विवाद के बिन्दु का निस्तारण नामान्तरकरण जैसी संक्षिप्त कार्यवाही नहीं हो सकने का कथन किया है। वकील रेस्पोडेन्ट का उक्त कथन उचित प्रतीत होता है।

इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में नामान्तरकरण जैर अपील में वर्णित भूमि के संबंध में मामला राजस्व न्यायालय में विचाराधीन होने से नामान्तकरण जैर अपील में वर्तमान स्टेज पर हस्तक्षेप किया जाना विधि सम्मत नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर नागौर
कलक्टर, नागौर